बिल्लो विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग - 2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
 मंगलवार, मार्च १4, 2000/ फाल्युन २4, १९२१ हेशक
 हे

संख्या : 74

सदस्य को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्लो विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, उतर-पूर्व जिला, दिल्लो का निम्नलिखित संदेश दिनांक 13-03-2000 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान समा के माननोय सदस्य श्रो मतीन अहमद को दिनांक 10-03-2000 को अपराह्न 4.45 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-सम्मत् निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात दिनांक 10-03-2000 को अपराह्न 5.00 बजे रिहा कर दिया गया ।"

> एत. के. शर्मा सचिव

DEIHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, March 14, 2000 / Phalgun 24, 1921 (Saka)

No.74

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. DCP, North East District, Delhi on 13-03-2000:-

" I have the honour to inform you that Shri Mateen Ahmad, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi was detained U/S 55 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police, at 4.45 P.M. on 10.3.2000.

He was released at 5.00 P.M. on the same day i.e. 10-03-2000.

S.K. SHARMA SECRETARY